



सत्यमेव जयते

राजस्थान राज-पत्र  
विशेषांक

RAJASTHAN GAZETTE  
Extraordinary

साधिकार प्रकाशित

Published by Authority

कार्तिक 16, गुरुवार, शाके 1941-नवम्बर 7, 2019  
Kartika 16, Thursday, Saka 1941- November 7, 2019

भाग 4 (ग)

उप- खण्ड (1)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये (सामान्य आदेशो, उप- विधियों आदि को सम्मिलित करते हुए) सामान्य कानूनी नियम।

**संसदीय कार्य विभाग**

अधिसूचना

**जयपुर, नवम्बर 07, 2019**

**जी.एस.आर.38:-**राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों तथा सदस्यों की परिलब्धियां और पेंशन) अधिनियम, 1956 (1957 का अधिनियम सं. 6) की धारा 4-क की उप-धारा (2) के साथ पठित धारा 11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, राजस्थान विधान सभा भूतपूर्व सदस्य और कुटुम्ब पेन्शनर (चिकित्सा सुविधाएं) नियम, 2010 को और संशोधित करने के लिए इसके द्वारा, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.-** (1) इन नियमों का नाम राजस्थान विधान सभा भूतपूर्व सदस्य और कुटुम्ब पेन्शनर (चिकित्सा सुविधाएं)(संशोधन) नियम, 2019 है।

(2) ये 1 अप्रैल, 2019 को और से प्रवृत्त हुए समझे जायेंगे।

2. **नियम 4 का संशोधन.-** राजस्थान विधान सभा भूतपूर्व सदस्य और कुटुम्ब पेन्शनर (चिकित्सा सुविधाएं) नियम, 2010 के नियम 4 के उप-नियम (1) में,-

- (i) विद्यमान अभिव्यक्ति "प्रतिवर्ष 50000/- रुपये" के स्थान पर अभिव्यक्ति "प्रतिवर्ष 1,00,000/- रुपये" प्रतिस्थापित की जायेगी।
- (ii) विद्यमान अभिव्यक्ति "प्रतिवर्ष 1,00,000/- रुपये" के स्थान पर अभिव्यक्ति "प्रतिवर्ष 2,00,000/- रुपये" प्रतिस्थापित की जायेगी।

[सं. एफ. 7(2)संसद/2019]

राज्यपाल के आदेश से,

विनोद कुमार भारवानी,

प्रमुख शासन सचिव।

**PARLIAMENTARY AFFAIRS DEPARTMENT  
NOTIFICATION**

**Jaipur, November 07, 2019**

**G.S.R. 38.-**In exercise of the powers conferred by section 11 read with sub-section (2) of section 4-A of the Rajasthan Legislative Assembly (Officers and Members Emoluments and Pension) Act, 1956 (Act No. 6 of 1957), the State Government hereby makes the

following rules further to amend the Rajasthan Legislative Assembly Ex-Members and Family Pensioners (Medical Facilities) Rules, 2010, namely:-

**1. Short title and commencement.-** (1) These rules may be called the Rajasthan Legislative Assembly Ex-Members and Family Pensioners (Medical Facilities) (Amendment) Rules, 2019.

(2) They shall be deemed to have come into force on and from 1<sup>st</sup> day of April, 2019.

**2. Amendment of rule 4.-** In sub-rule (1) of rule 4 of the Rajasthan Legislative Assembly Ex-Members and Family Pensioners (Medical Facilities) Rules, 2010,-

(i) for the existing expression, "Rs. 50000/- per annum", the expression "Rs. 100,000/- per annum" shall be substituted; and

(ii) for the existing expression, "Rs. 100,000/- per annum", the expression "Rs. 200,000/- per annum" shall be substituted.

[No. F.7(2)Sansad/2019]

**By Order of the Governor,**

Vinod Kumar Bharwani,

**Principal Secretary to the Government.**

---

**Government Central Press, Jaipur.**